भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5431
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन के अंतर्गत केरल में स्वीकृत परियोजनाएं

5431. एडवोकेट डीन कुरियाकोसः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान केरल में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का जिलावार ब्यौरा क्या है;
(ख) जल जीवन मिशन के अंतर्गत केरल में विशेष सहायता हेतु परियोजनाओं के चयन के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और
(ग) केरल राज्य सरकार द्वारा विशेष सहायता के अंतर्गत शामिल करने के लिए कितनी परियोजनाओं की सिफारिश की गई है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग) अगस्त 2019 से, भारत सरकार राज्यों की भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को कार्यान्वित कर रही है ताकि केरल के सभी जिलों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील नल जल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य जल का प्रावधान किया जा सके।

मिशन की शुरुआत में, केरल में केवल 16.64 लाख (23.51%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब तक, जैसा कि राज्य द्वारा 31.03.2025 तक सूचित किया गया है, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 21.92 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 31.03.2025

तक, राज्य के 70.77 लाख ग्रामीण परिवारों में से 38.56 लाख (54.48%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण राज्यों को पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, कार्यान्वयन और संचालन एवं अनुरक्षण के अधिकार प्रदान किए गए हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (पीएचई)/ग्रामीण जल आपूर्ति (आरडब्ल्यूएस) विभाग के प्रभारी सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) जेजेएम के तहत शुरू की जा रही योजनाओं/परियोजनाओं को मंजूरी देती है। अत: ग्रामीण जल आपूत परियोजनाओं की अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों के जिला-वार ब्यौरे भारत सरकार के स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

*****